

उत्तर प्रदेश शासन
राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-1390/ग्यारह-2-21-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(218)-2021

लखनऊ: दिनांक: 31 दिसम्बर, 2021

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 11 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा, अधिसूचना संख्या- क0नि0-2-1826/ग्यारह-9(47)/17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(134)-2018 दिनांक 19 सितम्बर, 2018 में अग्रतर निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, -

- (i) क्रम संख्या 4 के समक्ष, स्तम्भ (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "4414" रख दी जायेगी;
- (ii) क्रम संख्या 29 के समक्ष, स्तम्भ (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "7419 80" रख दी जायेगी;

2. यह अधिसूचना तारीख 1 जनवरी, 2022 से प्रवृत्त होगी।

आज्ञा से,



(संजीव मित्तल)

अपर मुख्य सचिव